मुकदमों का विवरण

मोहम्मद वाजिद और ए. एन. आर. वी.

उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य।

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 2340) अगस्त 08,2023

[बी**.** आर**.** गवई और जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःतत्काल मामले में जिसमें यू/एस. एस. द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी।395, 504, 506 और अपीलार्थियों के खिलाफ आई. पी. सी. 323, विचार के लिए जो प्रश्न उठे हैं, वे हैं कि क्या उक्त मामला एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए निर्धारित मापदंडों के भीतर आता है; क्या एफ. आई. आर. का सादा अध्ययन दंडनीय डकैती के अपराध का खुलासा करता है।395 आई. पी. सी.; क्या आपराधिक धमकी का कोई मामला यू/एस. एस. के तहत दंडनीय है।504 और 506 (2) आई. पी. सी. बनाया गया है; और क्या एफ़. आई. आर. में लगाए गए आरोप एफ़. आई. आर. दर्ज करने में एक साल की देरी को देखते हुए किसी भी विश्वास को प्रेरित करते हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973 -**धारा **482-**एफ़**.** आई**.** आर**.-**एफ़**.** आई मुखबिरों की जेब से **2** लाख रुपये और उसके बाद जबरन एक खाली कागज पर उनके हस्ताक्षर ले लिए**-**यू**/**एस**.** एस**.** में प्राथमिकी दर्ज की गई।**395, 504, 506** और **323** आई**.** पी**.** सी**.-**उच्च न्यायालय ने एफ**.** आई**.** आर**.** को रद्द करने से इनकार कर दिया**-**सच्चाईः

आयोजित किया गयाःमुखबिर द्वारा उसके सामने रखा गया पूरा मामला मनगढ़ंत और मनगढ़ंत प्रतीत होता है-अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ एक समय की अवधि में कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं जो निजी या व्यक्तिगत द्वेष से प्रतिशोध को आकर्षित करती हैं-प्राथमिक सूचना से उत्पन्न आपराधिक मामले को जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं होगा-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और

एफ. आई. आर. से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई-दंड संहिता, 1860-एस.395, 504, 506 और 323।[पैरा 29,30,35 और 36]

दंड संहिता**, 1860 -**धारा **395-**डकैती के लिए दंड**-**एफ़**.** आई**.** आर**.** में आरोप लगाया गया है कि एक भूमि विवाद को निपटाने के लिए मुखबिर और उसका भाई अपीलार्थी के घर गए**,** जिसमें अपीलार्थी और सह**-**अभियुक्त ने मुखबिर और उसके भाई पर हमला किया और मुखबिर की जेब से जबरन **2** लाख रुपये ले लिए**-**दंडनीय अपराध के लिए एफ़**.** आई**.** आर**.** का पंजीकरण।**395, 504, 506** और **323** आई**.** पी**.** सी**.-**शुद्धता

आयोजित किया गयाःधारा 395 तत्काल मामले पर लागू नहीं होती है-अभियोजन पक्ष ने आंखों पर पट्टी बांधकर और "डकैती" के वास्तविक उद्देश्य को समझे बिना दंडनीय यू/एस के लिए प्राथमिकी दर्ज की।395 – डकैती का खुलासा करने के लिए किसी भी सामग्री का खुलासा नहीं किया गया-पहला मुखबिर द्वारा रखा गया पूरा मामला मनगढ़ंत प्रतीत होता है-कथित घटना के समय, रुपये ले जाना। अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा जबरन सूचना देने वाले की जेब से 2 लाख रुपये एस में आने वाले "उस उद्देश्य के लिए" शब्दों के दायरे में नहीं आएंगे।390 – यहाँ तक कि मुखबिर के अनुसार, भूमि विवाद को निपटाने के उद्देश्य से, मुखबिर और उसका भाई अपनी स्वतंत्र इच्छा और इच्छा पर अपीलार्थी के घर गए-अपीलार्थी के घर पहुंचने के बाद ही पूरी घटना कथित रूप से हुई है।[पैरा 17 और 18]

दंड संहिता**, 1860 -**धारा **390-**डकैती**-**चोरी जब डकैती के बराबर होती हैः

आयोजित किया गयाःएस में उल्लिखित तीन अवयव।390 चोरी को डकैती मानने से पहले हमेशा संतुष्ट होना चाहिए-सबसे पहले, चोरी करने वाले को स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मौत या चोट या गलत तरीके से रोकने का प्रयास करना चाहिए, या तत्काल मौत या तत्काल चोट लगने का डर होना चाहिए, या तत्काल गलत तरीके से रोकने का प्रयास करना चाहिए-दूसरा यह चोरी करने के लिए, या चोरी करने के लिए, या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने के लिए होना चाहिए-तीसरा, चोरी करने वाले को स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति को चोट पहुँचाने का कारण बनना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए आदि, उस उद्देश्य के लिए, यानी, चोरी करने के लिए या चोरी करने के उद्देश्य से या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने के लिए।[पैरा 14 और 15]

दंड संहिता**, 1860 -**धारा **504-**शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान**-**आवश्यक घटक यू/एस।**504:**

315

मोहम्मद वाजिद और ए. एन. आर. वी.उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य।

आयोजित किया गयाःकेवल दुर्व्यवहार, अभद्रता, अशिष्टता या अपमान, एस के अर्थ के भीतर एक जानबूझकर अपमान के बराबर नहीं हो सकता है।504 यदि इसमें यह आवश्यक तत्व नहीं है कि अपमानित व्यक्ति को शांति भंग करने के लिए उकसाया जा सकता है और अभियुक्त का दूसरा तत्व शांति भंग करने के लिए अपमानित व्यक्ति को उकसाने का इरादा रखता है या यह जानते हुए कि अपमानित व्यक्ति के शांति भंग करने की संभावना है-अपमानजनक भाषा के प्रत्येक मामले का निर्णय उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में किया जाना चाहिए-एक सामान्य प्रस्ताव नहीं हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति शांति भंग करने के लिए उकसाता है।504 यदि वह केवल शिकायतकर्ता के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग करता है।[पैरा 25 और 26]

दंड संहिता**, 1860 -**धारा **506-**आपराधिक धमकी का अपराध**-**कबः

आयोजित किया गयाःआपराधिक धमकी का खुलासा होने से पहले, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी का इरादा शिकायतकर्ता को सतर्क करने का था-तथ्यों पर, एक भूमि विवाद को निपटाने के लिए सूचना देने वाला और उसका भाई अपनी मर्जी से अपीलकर्ता के घर गए, जिसमें अपीलकर्ता और अन्य सह-आरोपी ने सूचना देने वाले पर हमला किया और उसके भाई ने जबरन रुपये ले लिए। मुखबिरों की जेब से 2 लाख रुपये और उसके बाद जबरन एक खाली कागज पर उनके हस्ताक्षर लिए और यू/एस. एस. के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।395, 504, 506 और 323-प्रथम दृष्टया दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए मामला।506 शायद कहा जा सकता है कि इसका खुलासा किया गया है लेकिन यू/एस नहीं।504 – एफ. आई. आर. में, सूचना देने वाले ने केवल इतना कहा है कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपमानजनक भाषा का उपयोग किया गया था-वास्तव में जो गालियों के रूप में कहा गया था जो एफ. आई. आर. में नहीं कहा गया था-एक आवश्यक तत्व जो गैर-कानूनी कार्रवाई का गठन करता है।504 यह है कि जानबूझकर अपमान के बराबर कोई कार्य या आचरण होना चाहिए था-जहां वह कार्य अपमानजनक शब्दों का उपयोग है, यह जानना आवश्यक है कि वे शब्द क्या थे ताकि यह तय किया जा सके कि क्या उन शब्दों का उपयोग जानबूझकर अपमान के बराबर है-इसकी अनुपस्थिति में, यह तय करना संभव नहीं है कि जानबूझकर अपमान का घटक मौजूद है या नहीं-इस प्रकार, आपराधिक धमकी का मामला दंडनीय है।504 और 506 (2) आउट नहीं हुए।[पैरा 29]

विधानों की व्याख्या**-**दंडात्मक विधान**-**व्याख्याः

आयोजित किया गयाःइसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए-न्यायालय को यह देखना चाहिए कि आरोप लगाया गया शब्द उपयोग किए गए शब्दों के स्पष्ट अर्थ के भीतर है और शब्दों पर दबाव नहीं डालना चाहिए।[पैरा 19 और 21]

एफ**.** आई**.** आर**.-**रद्द करना**-**अंतर्निहित शक्तियों का आह्वान।**482** सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** या संविधान के अनुच्छेद **226** के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र**-**न्यायालय का कर्तव्यः

आयोजित किया गयाःजब भी कोई अभियुक्त अनिवार्य रूप से इस आधार पर एफ़. आई. आर. या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करता है कि ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली है या बदला लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई है, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह एफ़. आई. आर. को सावधानी से और थोड़ा और अधिक बारीकी से देखे-अदालत के लिए केवल एफ़. आई. आर./शिकायत में किए गए कथनों पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि

कथित अपराध का खुलासा किया जाता है या नहीं किया जाता है-तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाही में, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह मामले के रिकॉर्ड से उपजी कई अन्य उपस्थित परिस्थितियों पर ध्यान दे और यदि आवश्यक हो, तो उचित सावधानी और सावधानी से ध्यान देने का प्रयास करे।[पैरा 26]

एफ. आई. आर.-इसका महत्व और उद्देश्यः

आयोजित किया गयाःआपराधिक मामले में एफ. आई. आर. मुकदमे में पेश मौखिक साक्ष्य की पुष्टि करने के उद्देश्य से साक्ष्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान टुकड़ा है-अपराध के संबंध में पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य उन परिस्थितियों के बारे में जल्दी जानकारी प्राप्त करना है जिनमें अपराध किया गया था, वास्तविक दोषियों के नाम और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के साथ-साथ घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीद गवाहों के नाम।[पैरा 32]

एफ. आई. आर. दर्ज करने में देरी-एफ. आई. आर. रद्द करने का आधारः

आयोजित किया गयाःएफ. आई. आर. दर्ज करने में देरी, अपने आप में, एफ. आई. आर. को रद्द करने का आधार नहीं हो सकती है-हालाँकि, अन्य उपस्थित परिस्थितियों के साथ देरी, जिससे अभियोजन पक्ष द्वारा रखा गया पूरा मामला स्वाभाविक रूप से असंभव हो जाता है, कभी-कभी एफ. आई. आर. और परिणामी कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक अच्छा आधार बन सकता है-यदि एफ. आई. आर., तत्काल की तरह, कथित घटना की तारीख और समय का खुलासा किए बिना एक वर्ष से अधिक की अवधि के बाद दर्ज की जाती है और आगे इस तरह की देरी के लिए किसी भी प्रशंसनीय और विश्वसनीय स्पष्टीकरण के बिना, आरोपी मुकदमे में अपना बचाव नहीं कर सकता है-आरोप बहुत अस्पष्ट हैं।

मोहम्मद वाजिद और ए. एन. आर. वी.उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य।

और सामान्य-इन सभी सामग्री के अभाव में, राज्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अपना मामला साबित नहीं कर सकता है।[पैरा 32 और 33]

आपराधिक कानून-अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि-आपराधिक कार्यवाही पर प्रभावः

आयोजित किया गयाःआपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अभियुक्त का आपराधिक इतिहास एकमात्र विचार नहीं हो सकता है-एक अभियुक्त को अदालत के समक्ष यह कहने का वैध अधिकार है कि उसका पूर्ववृत्त कितना भी बुरा क्यों न हो, फिर भी यदि प्राथमिकी किसी अपराध का खुलासा करने में विफल रहती है तो अदालत को आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार नहीं करना चाहिए-अभियोजन की शुरुआत का अभियुक्त के रूप में नामित व्यक्तियों के लिए प्रतिकूल और कठोर परिणाम होता है-इस प्रकार, कानून प्रवर्तन शक्ति और नागरिकों की अन्याय और उत्पीड़न से सुरक्षा को संतुलित करने की आवश्यकता और आवश्यकता को बनाए रखा जाना चाहिए-यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि कोई भी अपराध दंडित न हो और यह भी सुनिश्चित करना उसका कर्तव्य है कि उसके किसी भी विषय को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।[पैरा 34]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, एआईआर 1992 एससी 604:[1990] 3 पूरक।

एस. सी. आर. 259; विशंभर नाथ बनाम सम्राट, ए. आई. आर. 1941 अवध 476; करुप्पा गौंडेन बनाम सम्राट, ए. आई. आर. 1918 मद्रास 821; ओतारुद्दी मांझी बनाम काफी लुद्दी मांझी, (1900-01) 5 सी. डब्ल्यू. एन. 372; राजा सम्राट बनाम मथुरा ठाकुर, (1901 -02) 6 सी. डब्ल्यू. एन 72; राजा सम्राट बनाम चुन्नीभाई दयाभाई, (1902) 4 बम एल. आर. 78; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम गोलकोंडा लिंग स्वामी, (2004) 6 एस. सी. सी. 522:[2004] 3 पूरक।एस. सी. आर. 147; राजस्व निदेशालय और एक अन्य बनाम मोहम्मद

निसार होलिया (2008) 2 एस. सी. सी. 370:[2007] 12 एस. सी. आर. 906-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील क्षेत्राअधिकार : 2023 की आपराधिक अपील संख्या 2340।

2022 के सी. आर. एल. एम. डब्ल्यू. पी. संख्या 15174 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के दिनांकित 17.10.2022 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता, मोहम्मद।ज़ाहिद हुसैन, सुश्री जेमतीबेन ए. ओ., उत्सव सहगल, सुश्री मुमताज जावेद शेख, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

318

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

सुश्री गरिमा प्रसाद, वरिष्ठ ए. ए. जी., बृजेंद्र चाहर, वरिष्ठ अधिवक्ता, विश्व पाल सिंह, अविरल सक्सेना, रवींद्र लोखरे, सुश्री श्वेता यादव, अभिनव अग्रवाल, हर्ष प्रताप शाही, सुश्री मानवी दीक्षित शर्मा, आशुतोष भारद्वाज, प्रतीक राय, शुभम सक्सेना, आकाश, नमन राज सिंह, आशीष पांडे, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

जे. बी. पारदीवाला, जे.

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. यह अपील भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 395,504,506 और 323 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए यू. पी. राज्य के सहारनपुर जिले के मिर्जापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) के मूल आरोपी संख्या 1 और 2 के उत्तर के उदाहरण पर है और इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा 2022 की आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 15174 में दिनांक 17.10.2022 द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के नेतृत्व में लिखित याचिका को खारिज कर दिया था, जिससे उपरोक्त एफ. आई. आर. को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स

3. प्रतिवादी संख्या 4, अर्थात् राम कुमार ने ऊपर बताए गए अपराधों के लिए 2022 की एफ. आई. आर. संख्या 224, ऊपर भी निर्दिष्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई।एफ़. आई. आर. इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“... अधोहस्ताक्षरित सदूराम का बेटा रामकुमार पी. एस. मिर्जापुर के कासीमपुर का निवासी है।मैं कहना चाहता हूं कि हाजी इकबाल, उनके बेटे जावेद, वाजिद, अलीशान, अफजल और इकबाल के भाई महमूद अली ने हमें लंबे समय से जबरदस्ती बताना शुरू कर दिया कि मायापुर गांव में स्थित खसरा नं. 256/1 वाली हमारी जमीन उनकी है।यह वर्ष 2021 है जब खेती का समय आया, कि मैं और मेरे भाई राजकुमार मिर्जापुर में अब्दुल वाहिद के बेटे इकबाल के घर गए।हमने उनसे अनुरोध किया कि आप लोग हमारी शांति भंग कर रहे हैं।हमने कहा, हम बेसहारा थे।इस पर इकबाल, उनके भाई महमूद और उनके बेटे ज़बेद, वाजिद, अलीशान और 319 हैं।

अफजल हम पर बहुत क्रोधित हो गया।उन्होंने हमारे खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।हमने उनसे अपमानजनक भाषा बोलना बंद करने का अनुरोध किया।यह उस समय है जब ये सभी लोग लंबे समय तक अपने हाथों और एसटीएस से हम पर हमला करते रहे।इसके बाद उन्होंने मेरे माथे पर पिस्तौल रख दी और रुपये ले गए। 2 लाख जबरदस्ती मेरी जेब में रख लिए।इसके बाद, इन सभी लोगों ने कहा कि अगर हम इस बारे में किसी से बात करेंगे, तो वे हमारे परिवार के सभी सदस्यों को मार देंगे।तब इकबाल ने मुझे स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा।हमें डराने और धमकाने के बाद, उन्होंने हम दोनों भाइयों को स्टांप पेपर पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया।हमें लूटा जा रहा है, हम चुपचाप अपने घर लौट आए।इसके बाद हमने अपने परिवार के सदस्यों को वर्तमान तथ्य से अवगत कराया।हालाँकि इन व्यक्तियों के डर के कारण हमारे परिवार के किसी भी सदस्य ने इन व्यक्तियों के खिलाफ हमारा समर्थन नहीं किया।बहुत सोचने और साहस जुटाने के बाद, मैं वर्तमान रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आपके पुलिस स्टेशन के सामने आया हूं।आवेदक एस. डी./- राजकुमार

19.09.2022-Ram कुमार पुत्र साधुराम निवासी कासिंपुसर, पी. एस. मिर्जापुर, जिला सहारनपुर, एम. 9758031420।"

(जोर दिया गया) 4.इस प्रकार एफ. आई. आर. से पता चलता है कि पहला सूचना देने वाला गाँव कासिमपुर, मिर्जापुर, सहारनपुर का निवासी है।सहारनपुर जिले के मायापुर गाँव में स्थित खसरा नं. 256/1 वाली कृषि भूमि के कार्यकाल धारक के रूप में उनका नाम दर्ज किया गया है।उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें अपीलकर्ता कुछ अन्य सह-अभियुक्तों के साथ खसरा नं. 256/1 वाली भूमि के मालिक होने का गलत दावा कर रहे हैं।यह उनका मामला है कि वर्ष 2021 में किसी समय, वह अपने भाई राजकुमार के साथ मिर्जापुर में स्थित अपीलार्थी संख्या 2 के घर गए थे और उनसे अनुरोध किया था कि वे उनके वैध कब्जे और विचाराधीन भूमि के स्वामित्व में हस्तक्षेप न करें।यह उसका मामला है कि उस समय अपीलकर्ताओं और अन्य सह-अभियुक्तों ने पहले मुखबिर को गाली दी और उसके भाई राजकुमार और उसके बाद सभी अभियुक्तों ने पहले मुखबिर और उसके भाई पर हाथों और एसटीएस से हमला किया।यह भी आरोप लगाया गया है कि उस समय बंदूक की नोक पर आरोपी व्यक्ति जबरन रुपये ले गए थे। प्रथम सूचना देने वाले की जेब से 2 लाख।आरोपी व्यक्तियों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने पहले मुखबिर को धमकी दी थी कि अगर वह घटना के बारे में किसी से बात करेगा तो उसके परिवार के सभी सदस्यों को मार दिया जाएगा।अंत में, प्रथम मुखबिर ने आरोप लगाया है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने जबरन

एक सादे स्टाम्प पेपर पर प्रथम मुखबिर और उसके भाई के हस्ताक्षर प्राप्त किए।कथित घटना के बाद, प्रथम मुखबिर और उसके भाई राजकुमार अपीलार्थी संख्या 2 के घर से निकल गए।

5. यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2021 में हुई कथित घटना के लिए प्राथमिकी वर्ष 2022 में दर्ज की गई थी।यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्राथमिकी में कथित घटना की कोई तारीख और समय नहीं बताया गया है।प्रथम सूचना देने वाले ने कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया कि प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक देरी क्यों हुई।

6. इसमें अपीलकर्ता इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के समक्ष गए और 2022 की आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 15174 का नेतृत्व किया और विचाराधीन प्राथमिकी को रद्द करने के लिए प्रार्थना की।उच्च न्यायालय ने रिट आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया और उसी टिप्पणी को खारिज कर दिया जो निम्नानुसार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील को सुना और राज्य उत्तरदाताओं के लिए ए. जी. ए. सीखा।

इस याचिका में मांगी गई राहत धारा 395,504,506,323 आई. पी. सी., पुलिस स्टेशन मिर्जापुर, जिला सहारनपुर के तहत 2022 के मामला अपराध संख्या 0224 के रूप में दर्ज एफ. आई. आर. दिनांक 19.09.2022 को रद्द करने के लिए है।

लर्नड ए. जी. ए. ने एफ. आई. आर. को रद्द करने की प्रार्थना का विरोध किया, जो संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है।

विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का पता चलता है।इसलिए, हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए, 1992 सप.(1) एस. सी. सी. 335 और मेसर्स निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम.महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. 2021 एस. सी. 1918 और अपील के लिए विशेष अनुमति (सी. आर. एल.) No.3262/2021 (लीलावती देवी @लीलावती और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) ने 07.10.2021 पर निर्णय लिया, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है।

इसलिए, रिट याचिका को खारिज कर दिया जाता है और याचिकाकर्ताओं के लिए कानून के तहत और कानून के अनुसार अग्रिम जमानत/जमानत के लिए सक्षम अदालत के समक्ष आवेदन करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है।"

उपरोक्त से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलार्थी वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष हैं।

अपीलार्थियों के स्वयं के बारे में सुझाव

7. श्री सिद्धार्थ दवे, उनके नेतृत्व में लिखित प्रस्तुतियों में अपीलार्थियों की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“1. याचिकाकर्ता जो 2022 की एफ. आई. आर. संख्या 224 में क्रमशः अभियुक्त संख्या 6 और 1 हैं, उन्होंने इलाहाबाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध मामलों में पारित किए गए विवादित फैसले और दिनांक 1 के आदेश के खिलाफ वर्तमान विशेष अनुमति याचिका का नेतृत्व किया है।2022 की रिट याचिका संख्या 15174, जिसके तहत माननीय उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाकर्ताओं के नेतृत्व में उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 395,504,506 और 323 के तहत छह आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज 2022 की प्राथमिकी संख्या 224 को रद्द करने की मांग की गई है।इकबाल उर्फ बाला (याचिकाकर्ता संख्या 2), महमूद अली (याचिकाकर्ता संख्या 2 का भाई), अफजल (याचिकाकर्ता संख्या 2 का बेटा), अलीशान (याचिकाकर्ता संख्या 2 का बेटा), जावेद (याचिकाकर्ता संख्या 2 का बेटा), और मोहम्मद वाजिद (याचिकाकर्ता संख्या 1 और याचिकाकर्ता संख्या 2 का बेटा) पुलिस स्टेशन मिर्जापुर, जिला सहारनपुर में।

2. 2022 की उक्त एफ़. आई. आर. सं. 224 दिनांक 19.09.2022 में आरोप है कि शिकायतकर्ता राम कुमार (प्रतिवादी सं. 4 यहाँ), जो गाँव कासिमपुर, मिर्जापुर, जिला सहारनपुर का निवासी है, को खसरा सं. <आई. डी. 2, गाँव मायापुर, मिर्जापुर, जिला सहारनपुर में स्थित भूमि के कार्यकाल धारक के रूप में दर्ज किया गया है।यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी हाजी इकबाल (याचिकाकर्ता संख्या 2) और उनके बेटे जावेद, मोहम्मद वाजिद (याचिकाकर्ता संख्या 1), अलीशान, अफजल और उनके भाई महमूद अली ने पहले दावा किया था कि खसरा संख्या वाली उक्त भूमि उनकी है।वर्ष 2021 में, जब शिकायतकर्ता और उसका परेशान राज कुमार सहारनपुर के मिर्जापुर में स्थित याचिकाकर्ता संख्या 2 के घर गए और उनसे अनुरोध किया कि वे अपनी भूमि की शांति और शांति में खलल न डालें, जिस पर याचिकाकर्ता संख्या 2 इकबाल, महमूद अली, जावेद, याचिकाकर्ता संख्या 1 महमूद वाजिद, अलीशान और अफजल ने शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया और उसके बाद उन्होंने उनके और उनके भाई राज कुमार पर अपने हाथों से हमला किया।

यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता के माथे पर पिस्तौल तान दी और जबरन रुपये की राशि ले ली। शिकायतकर्ता की जेब से 2 लाख।अभियुक्त व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो उसके परिवार के सभी सदस्यों को समाप्त कर दिया जाएगा।यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने जबरन शिकायतकर्ता और उसके भाई के हस्ताक्षर एक खाली स्टाम्प पेपर पर करवा लिए और उनके पैसे लूटने के बाद शिकायतकर्ता और उसका भाई चुपचाप घर लौट आए।

3. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट बिल्कुल झूठी और तुच्छ है, और उक्त एफ. आई. आर. को पढ़ने पर, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ स्पष्ट रूप से डकैती का आरोप नहीं लगाया गया है।यह बहुत संदेहपूर्ण है कि शिकायतकर्ता, जो याचिकाकर्ता नंबर 2 इकबाल के आपराधिक इतिहास से अवगत था, आरोपी याचिकाकर्ता नंबर 2 के घर भारी राशि, यानी रु। उसकी जेब में 2 लाख और कथित घटना के बाद एक साल तक चुप रहेगा।हालाँकि यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता और उसके भाई राज कुमार पर अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था, हालाँकि उक्त आरोप की पुष्टि करने के लिए कोई चोट या चिकित्सा रिपोर्ट नहीं है।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप न केवल अस्पष्ट हैं, बल्कि अत्यधिक असंभव भी हैं, क्योंकि इस गंजे आरोप को छोड़कर कि घटना वर्ष 2021 में हुई थी, प्राथमिकी में घटना की तारीख और समय का कोई उल्लेख नहीं है। उक्त घटना कथित रूप से वर्ष 2021 में हुई थी, जबकि प्राथमिकी 1 साल की अत्यधिक देरी के बाद, यानी 19.09.2022 पर दर्ज की गई है।एफ. आई. आर. पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि पूरा विवाद खसरा नं. 256/1, गाँव मायापुर, मिर्जापुर, जिला सहारनपुर में स्थित भूमि के संबंध में है।यह प्रस्तुत करना उचित है कि याचिकाकर्ता न तो भूमि के मालिक हैं और न ही उनका उक्त भूमि से कोई लेना-देना है और इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता को धमकी देने और हमला करने का कोई सवाल ही नहीं था।

5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार बदलने के बाद सत्तारूढ़ दल सत्ता में आया और सरकार बदलने के तुरंत बाद याचिकाकर्ताओं ने 323

मोहम्मद वाजिद और ए. एन. आर. वी.उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 324 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

उनके परिवार के सदस्यों को सत्तारूढ़ दल के कहने पर 30 से अधिक आपराधिक मामलों में झूठा फंसाया गया था।पुलिस सहित राज्य तंत्र द्वारा याचिकाकर्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है।यद्यपि प्रत्यर्थी राज्य याचिकाकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर यह दिखाने के लिए बहुत अधिक निर्भर है कि वे आदतन अक्षम हैं, लेकिन आज तक याचिकाकर्ताओं को किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और इसके अलावा हर बार याचिकाकर्ताओं या उनके परिवार के सदस्यों को इस माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय से सुरक्षा (अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी पर रोक) मिलती है, स्थानीय पुलिस तुरंत उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करती है।

6. यह प्रस्तुत किया जाता है कि कथित लुक आउट नोटिस दिनांक 10.05.2022 2022 की वर्तमान एफ़. आई. आर. संख्या 224 के पंजीकरण से बहुत पहले जारी किया गया था जो 19.09.2022 पर दर्ज किया गया था और इस तरह से अप्रासंगिक है।

7. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान सत्तारूढ़ दल के इशारे पर कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण तरीके से दायर की गई है ताकि प्रतिशोध लिया जा सके और याचिकाकर्ता संख्या 2 मोहम्मद के साथ राजनीतिक मतभेद सुलझाए जा सकें।इकबाल उर्फ बाला एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल से हैं और वे 2011 से 2016 तक विधान परिषद के सदस्य भी रहे।याचिकाकर्ता सं. 2 मोहम्मद।इकबाल उर्फ बाला सहारनपुर के एक सम्मानित परिवार से ताल्लुक रखता है और वह कई धर्मार्थ संस्थान चला रहा है।

8. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 395,504,506 और 323 के तहत कोई मामला नहीं बनाते हैं और इस प्रकार, एफ. आई. आर. को रद्द किया जा सकता है।यह उल्लेख करना उचित है कि आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद भी, एक प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका पूरी तरह से कानून के दायरे में है।

विधि न्यायालय की शक्तियाँ **[**कृपया देखें किःआनंद कुमार मोहत्ता और एक अन्य वी**.** एस**.** राज्य **(**एन**.** सी**.** टी**.** दिल्ली**),** गृह विभाग और एक अन्य **(2019) 11** एस**.** सी**.** सी**. 706** पैराग्राफ **14** और **16** पर**]**

9. ऊपर वर्णित कारणों से, विशेष अनुमति याचिका की अनुमति दी जा सकती है और 2022 की एफ. आई. आर. संख्या 224 को रद्द करने से इनकार करने वाले माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जा सकता है।"

राज्य के स्वयं के बारे में टिप्पणियां

8. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद ने अपनी लिखित दलीलों में कहा हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"ए**.** अभियुक्त इकबाल @हाजी इकबाल @बाला**,** अभियुक्त महमूद और दिलशाद द्वारा कोई विश्वास या वकालतनामा दर्ज नहीं किया गया**-**तीसरे दलों द्वारा दायर याचिका को कोई विश्वास नहीं दिया जा सकता है।

• कि तत्काल एसएलपी का नेतृत्व किसी तीसरे पक्ष द्वारा किया गया है।अभियुक्त इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला और न ही अन्य याचिकाकर्ताओं ने वकालतनामा और अफी दवित पर हस्ताक्षर किए हैं और इकबाल कानून से फरार है।यहां तक कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 Cr.P.C के तहत रिट याचिका पर इकबाल ने खुद हस्ताक्षर नहीं किए हैं।जिन लोगों ने इस माननीय न्यायालय से संपर्क नहीं किया है, उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती है।• अभियुक्त इकबाल इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से फरार हो गया है और संभवतः देश से फरार हो गया है।यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि एक व्यक्ति जो इस माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और जिसने किसी भी शपथपत्र या वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, वह किसी भी राहत का हकदार नहीं हो सकता है।

% अभियुक्तों ने अधिक जघन्य और स्थूल मामलों को छोड़कर इस माननीय न्यायालय के समक्ष चुनिंदा रूप से केवल कुछ ही मामले लाए हैं।

बी**.** इकबाल @हाजी इकबाल @बाला मिर्जापुर जिला सहारनपुर के क्षेत्र में सबसे वांछित अपराधी है जो नागरिकों के मन में आतंक पैदा कर रहा है।वह एक जाने**-**माने रेत माफिया हैं**,** जिन्होंने सरकारी भूमि**,** वन भूमि**,** गरीब किसानों की भूमि पर कब्जा किया और **700** एकड़ से अधिक क्षेत्र में ग्लोकल विश्वविद्यालय**,** सहारनपुर नामक एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया।मेरठ

जोन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक**,** मेरठ के कार्यालय सीई ने अपने आधिकारिक सीई मेमो दिनांक **11.02.2023** के माध्यम से इकबाल **@**बाला को एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि के साथ एक अति वांछित अपराधी घोषित किया है। **1,00,000 -**

• पूर्ववर्ती वितरण की सुरक्षाःयह स्पष्ट है कि

अभियुक्त इकबाल और उसके परिवार की अपराध की दुनिया पिछले दशकों में पहले की व्यवस्था/सरकार (ओं) के समर्थन से बढ़ी है, और 325

मोहम्मद वाजिद और ए. एन. आर. वी.उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 326 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

यही कारण है कि वर्ष 1990-1993 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को पिछली सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था।आरोपी इकबाल ने लोगों को आतंकित किया, वह सहारनपुर जिले या पश्चिमी राज्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आतंक का एक जाना-पहचाना नाम है, जिसके कारण आरोपी इकबाल और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई प्राथमिकी/आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए गए थे।

• नोटिसों को देखें -आरोपी इकबाल इस प्रक्रिया से फरार है और उसके खिलाफ कई लुक आउट सर्कुलर जारी किए गए थे। लेकिन आरोपी इकबाल किसी भी मामले में एक बार भी पेश नहीं हुआ है और पहले ही फरार हो चुका है।एक व्यक्ति जो जांच में सहयोग नहीं करता है, उसे कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

• अधिसूचना यू/एस धारा 41:बड़ी संख्या में मामलों में धारा 41 ए Cr.P.C के तहत बड़ी संख्या में नोटिस जारी किए गए हैं। अभियुक्त इकबाल उर्फ बाला को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अभियुक्त इकबाल न तो पेश हुआ और न ही किसी आपराधिक मामले में जाँच में शामिल हुआ।

• हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर लीडरःद.

अभियुक्त हाजी इकबाल @मोहम्मद।इकबाल @बाला एक हिस्ट्रीशीटर, गिरोह का नेता, आतंक का जाना-पहचाना नाम है, अगर इस तरह के अपराधियों को कोई राहत दी जाती है, जो सार्वजनिक रूप से बलात्कार के मामलों, डकैती के मामलों, धोखाधड़ी के मामलों, भूमि हड़पने के मामलों, जबरन वसूली के मामलों आदि में शामिल हैं, तो समाज में गलत संदेश/संकेत जाएगा और जो व्यक्ति/पीड़ित इन गलत लोगों के खिलाफ आते हैं, उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा और भविष्य में कोई भी इन अपराधियों के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाएगा।

• जहाँ तक सरकार बदलने का संबंध है, शिकायतकर्ता/भयभीत लोग, पीड़ित लोग आरोपी इकबाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करने या दर्ज करने के लिए आगे आने में सक्षम हुए हैं।पूर्ववर्ती सरकारों के अवैध समर्थन के कारण उनके खिलाफ कोई शिकायत या आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया था।अब वे अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए आगे आए हैं।वर्तमान सरकार में, पीड़ित लोगों की संख्या, भयभीत लोग/शिकायतकर्ता आरोपी इकबाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करने या आवाज उठाने के लिए आगे आने में सक्षम हुए हैं।आपराधिक शिकायतों के आधार पर आरोपी इकबाल और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

• भले ही ये झूठे मामले हों, लेकिन ईमानदार या कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों को जांच में शामिल होना चाहिए, लेकिन आरोपी इकबाल सभी नोटिसों से बच रहा है

और किसी भी आपराधिक मामले में किसी भी जांच में शामिल नहीं हुआ है, और इसलिए लुक आउट नोटिस जारी किए गए हैं।

• यहां यह उल्लेख करना उचित है कि सभी आपराधिक मामलों में, शिकायतकर्ता अलग-अलग होते हैं और अपराध अलग-अलग होता है और कुछ आरोपी भी अलग-अलग होते हैं।

• इसके अलावा, यह उल्लेख करना उचित है कि आरोपी इकबाल और उसका परिवार नियमित रूप से गवाहों को धमकी देता था।

• अभियुक्त इकबाल को इस माननीय न्यायालय या किसी भी न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए कहा जाना चाहिए।

• अभियुक्त इकबाल एक लैंड माफी ए, सैंड माफी ए, बलात्कारी, गैंगस्टर है।• अभियुक्त इकबाल ने शुरुआती दिनों में धोखाधड़ी, चोरी और डकैती के मामले करना शुरू कर दिया था।आखिरकार, वह अवैध खनन मामलों में शामिल हो गया और गिरोह का नेता बन गया।इसके बाद आरोपी इकबाल ने सहारनपुर जिले में वन भूमि के साथ-साथ सरकारी भूमि पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया।उनके परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों ने भी गरीब लोगों की जमीन हड़पना शुरू कर दिया।

• अभियुक्त मोहम्मद।इकबाल उर्फ बाला उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी भाग में खनन माफिया है और उसके और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

• अभियुक्त मोहम्मद।जिला सहारनपुर के निवासी और उत्तर प्रदेश विधान परिषद (बी. एस. पी. एम. एल. सी.) के पूर्व सदस्य इकबाल विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं।मोहम्मद के खिलाफ मुख्य आरोप।इकबाल इस प्रकार हैंः

• असंतुष्ट परिसंपत्तियाँ;

• कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कई नकली कंपनियों को शामिल किया गया, जिनमें से कई में नकली निदेशक या काल्पनिक शेयरधारक हैं।

• सहारनपुर में प्रयुक्त गोलबल विश्वविद्यालय (700 एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्थित है, जहां वे संस्थापक कुलाधिपति हैं और अब्दुल वहीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित है, जो 327 का एक ट्रस्ट है।

मोहम्मद वाजिद और ए. एन. आर. वी.उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 328 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

खनन अनुबंधों के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित धन से संपत्ति बनाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने पिता के नाम पर इसके ट्रस्टी के रूप में।

• अभियुक्त हाजी इकबाल उर्फ बाला और उसके परिवार के सदस्य अवैध खनन मामलों, भूमि हड़पने के मामलों, धोखाधड़ी के मामलों और बलात्कार, डकैती और अन्य आपराधिक मामलों में शामिल हैं।

• अभियुक्त इकबाल उर्फ बाला, गिरोह का नेता होने के नाते, और उसके गिरोह के सदस्य आपराधिक दिमाग वाले व्यक्ति हैं और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हैं और याचिकाकर्ता, अवैध धन प्राप्त करने के लिए, अवैध खनन व्यवसाय में शामिल हैं, अवैध कब्जा लेकर सरकारी और गैर-सरकारी भूमि हड़प रहे हैं।

• यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह तथ्य कि शिकायतें राजनीतिक प्रतिशोध के कारण शुरू की गई हो सकती हैं, आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपने आप में आधार नहीं है।

• कि Cr.P.C की धारा 482 प्रदान करती हैः- “482. उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की बचत-इस संहिता में कुछ भी उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या बाधित करने के लिए नहीं माना जाएगा जो इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो।"

• यह कि इस माननीय न्यायालय ने मोनिका कुमार (डॉ.) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 8 एस. सी. सी. 781 के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में अभिनिर्धारित किया है, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है। पी. सी. का प्रयोग संयम, सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी जब इस तरह के अभ्यास को अनुभाग में ही निर्दिष्ट परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाता है।

• इसके अलावा, यह उल्लेख करना उचित है कि इस माननीय न्यायालय ने

मामले में आयोजित श्रीमती धनलक्ष्मी बनाम आर. प्रसन्ना कुमार, के रूप में रिपोर्ट किया गया

ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 494 ने कहा कि असाधारण मामलों में, न्यायालय की शक्तियों को रोकने के लिए, उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। पी. सी. आपराधिक

कार्यवाही को रद्द करता है।हालांकि, हस्तक्षेप केवल तभी उचित होगा जब शिकायत में किसी भी तरह की लापरवाही का खुलासा नहीं किया गया हो, या यह स्पष्ट रूप से तुच्छ, परेशान करने वाला या दमनकारी हो।

वर्तमान मामले में, आई. पी. सी. की धारा 376,323,354 (ए) और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 7,8 पी. एस. महिला थाना, जिला सहारनपुर में दर्ज की गई थी, जिसमें स्पष्ट तथ्यों का खुलासा किया गया था और आरोपी इकबाल और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं।2022 की एफ. आई. आर. संख्या 122 के तथ्य प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराधों का खुलासा करते हैं।

अभियुक्त हाजी इकबाल उर्फ बाला 1990 से बलात्कार के मामलों, अवैध खनन, भूमि हड़पने, धोखाधड़ी के मामलों, हमले के मामलों और अन्य आपराधिक मामलों सहित 45 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल रहा है।अभियुक्त इकबाल के खिलाफ पहली एफ. आई. आर. 1990 में दर्ज की गई थी, अर्थात आई. पी. सी. की धारा 379,411 और वन अधिनियम की धारा 26 के तहत 1990 की एफ. आई. आर. संख्या 57 मिर्जापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।हालांकि, पहले की सरकार के समर्थन के कारण, आरोपी इकबाल और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।अभियुक्त इकबाल के खिलाफ निम्नलिखित आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं:

श्री. नहीं।	एफ. आई. आर./सी. आर. आई. एम. नं.	खंड के तहत	पुलिस स्टेशन	जिला
1	57 1990 का	379, 411 आई. पी. सी. और धारा 26 वन अधिनियम	मिर्जापुर	सहारनपुर
2	53 1991 का	379, 411 आई. पी. सी. और वन अधिनियम की धारा 4/10	चिल्काना	सहारनपुर
3	217 1993 का	147, 323, 504, 506 आईपीसी	बेहट।	सहारनपुर
4	302 2016 का	420, 467, 468, 471 आईपीसी	इकोटेक तीसरा	गौतमबुद्ध नगर
5	196 2017 का	420, 406, 506 आईपीसी	मिर्जापुर	सहारनपुर
6	246 2017 का	452, 323, 504, 506, 354, 147, 148, 386, 420, 467, 468, 471, 120 बी आई. पी. सी	सदर बाजार	सहारनपुर
7	39 2018 का	420, 467, 468, 471 आईपीसी	जनकपुरी,	सहारनपुर
8	52 2018 का	147, 148, 149,	सदर बाजार	सहारनपुर

		352, 504, 147, 148, 386, 420, 467, 468, 471, 120 बी आई. पी. सी. धारा 3 (2) (5) ए. एससी/एसटी अधिनियम और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम		

9	65 2018 का	403, 447, 506, 120 बी आई. पी. सी	मिर्जापुर	सहारनपुर
10	165 2018 का	2/3 गैंगस्टर एक्ट	मिर्जापुर	सहारनपुर
11	177 2019 का	420, 504, 506, 467, 468, 471 आईपीसी	मिर्जापुर	सहारनपुर
12	178 2019 का	406, 342, 392, 504, 506, 354 आईपीसी	मिर्जापुर	सहारनपुर
13	587 2019 का	120 बी, 167,467,468,471 आईपीसी	सदर बाजार	सहारनपुर
14	519 2021 का	420, 466, 467, 468, 471, 120 बी आई. पी. सी	बेहट।	सहारनपुर
15	83 2022 का	2/3 गैंगस्टर एक्ट	मिर्जापुर	सहारनपुर
16	97 2022 का	504, 506, 386 आईपीसी	मिर्जापुर	सहारनपुर
17	101 2022 का	504,506 आईपीसी	मिर्जापुर	सहारनपुर
18	102 2022 का	420, 467, 468, 471 आईपीसी	मिर्जापुर	सहारनपुर

19	89 87-88 का		बडकला वन श्रृंखला	
20	29 89-90 का		बडकला वन श्रृंखला	
21	173 89-90 का		बडकला वन श्रृंखला	
22	53 91 में से	4/10 वन अधिनियम	बेहट।	सहारनपुर
23	70 91-92 का		बेहट।	सहारनपुर
24	71 91-92 का		बेहट।	सहारनपुर
25	72 91-92 का		बेहट।	सहारनपुर
26	103 1992 का	379, 411 आई. पी. सी. और वन अधिनियम की 26	बेहट।	सहारनपुर

27. 104 1994 का 379,411 आई. पी. सी. और धारा 26

बेहट।

सहारनपुर

वन अधिनियम

28	105 1992 का	379, 411 आई. पी. सी. और वन अधिनियम की धारा 26	बेहट।	सहारनपुर
29	32 2001 का	147, 148, 306 आईपीसी	यमुना नगर, यमुना	नगर, हरियाणा

आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **395,504,506,323** के तहत **2022** की एफ**.** आई**.** आर**.** संख्या **224:- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

ग) याचिकाकर्ताओं और अन्य अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता और उसके भाई को लूट लिया और उपरोक्त भूमि के स्टांप पेपरों पर जबरन हस्ताक्षर करवा लिए।

घ) इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ताओं और उनके परिवार के आतंक के कारण, परिवार के किसी अन्य सदस्य ने शिकायत दर्ज करने का समर्थन नहीं किया है, लेकिन यह देखने के बाद कि अन्य पीड़ित व्यक्ति याचिकाकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, शिकायतकर्ता ने उक्त आपराधिक घटना के लिए याचिकाकर्ताओं और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का फैसला किया।

ई) जांच अधिकारी ने स्वतंत्र गवाहों का बयान भी दर्ज किया और याचिकाकर्ताओं और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अन्य भौतिक साक्ष्य एकत्र किए, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि याचिकाकर्ताओं और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने गंभीर अपराध किए हैं।

च) जांच पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र तैयार है, लेकिन इस माननीय न्यायालय के दिनांक 1 के स्थगन आदेश के कारण आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

विलम्ब के सम्मान में प्रस्तुतियाँ

क) आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराधों का खुलासा करती है और जो इस विश्वास को प्रेरित करती है कि प्राथमिकी की सामग्री से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा गंभीर अपराध किया गया था।

ख) आई. पी. सी. की धारा 391 के तहत डकैती की अवहेलना की जाती है, जिसमें कहा गया है कि जब कोई या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से या डकैती करने का प्रयास करते हैं या जहां पूरी संख्या में व्यक्ति संयुक्त रूप से डकैती करते हैं या डकैती करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे कार्य या प्रयास में उपस्थित और सहायता करने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से या उससे अधिक होते हैं, तो ऐसा करने, प्रयास करने या सहायता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को "डकैती" कहा जाता है।

ग) इसके अलावा, डकैती को आई. पी. सी. की धारा 390 के तहत अवहेलना की गई है, जो यह निर्धारित करती है कि चोरी "डकैती" है यदि, चोरी करने के लिए, या चोरी करने के लिए, या चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने के लिए, उस उद्देश्य के लिए, 331

मोहम्मद वाजिद और ए. एन. आर. वी.उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 332 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट पहुँचाने या गलत तरीके से रोकने, या तत्काल मृत्यु या तत्काल चोट लगने का डर, या तत्काल गलत तरीके से रोकने का कारण बनता है या प्रयास करता है।

वर्तमान मामले में, अन्य अभियुक्त व्यक्तियों (कुल 6 अभियुक्त व्यक्तियों) ने शिकायतकर्ता को लूटा और जबरन वसूली की है। एफ. आई. आर. की सामग्री से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि शिकायतकर्ता, जब वे याचिकाकर्ताओं के घर गए थे, तो उन्हें याचिकाकर्ताओं द्वारा लूटा गया था और गलत तरीके से रोका गया था।याचिकाकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्ति, जैसे कि प्रथम दृष्टया, प्राथमिकी में उल्लिखित अपराधों में शामिल हैं।

घ**)** हाल ही में**,** इस माननीय न्यायालय ने महेंद्र प्रसाद मामले में फैसला सुनाया है।

तिवारी बनाम अमित कुमार तिवारी और अन्र ने 2022 एससीसी ऑनलाइन के रूप में रिपोर्ट किया

एस. सी. 1057 ने अभिनिर्धारित किया कि देरी से एफ. आई. आर. दर्ज करना आरोपमुक्त करने का आधार नहीं है।

ङ) इस माननीय न्यायालय ने ठाकुर राम बनाम बिहार राज्य मामले में, जिसे (1966) 2 एस. सी. आर. 740 के रूप में रिपोर्ट किया गया है, यह अभिनिर्धारित किया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर, आपराधिक मामलों में जिस पक्ष को पीड़ित पक्ष माना जाता है, वह राज्य है जो बड़े पैमाने पर समुदाय के सामाजिक हितों का संरक्षक है और इसलिए यह राज्य का काम है कि वह उस व्यक्ति को लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जिसने समुदाय के सामाजिक हितों के खिलाफ काम किया है।

च**)** इस माननीय न्यायालय ने शीओनानंदन पासवान बनाम बिहार राज्य**, (1987) 1** एस**.** सी**.** सी**. 288** मामले में निर्णय दिया है।

17. यह निस्संदेह सच है कि डॉ. जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ अभियोजन डॉ. जगन्नाथ मिश्रा के सत्ता से बाहर होने के बाद कर्पूरी ठाकुर की उत्तराधिकारी सरकार द्वारा शुरू किया गया था।लेकिन यह अपने आप में इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं कर सकता है कि अभियोजन की शुरुआत राजनीतिक प्रतिशोध या दुर्भावना से की गई थी क्योंकि यह काफी संभव है कि डॉ. जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ अभियोजन की शुरुआत को उचित ठहराने वाली सामग्री हो और उत्तराधिकारी सरकार ने वैध रूप से महसूस किया होगा कि अभियोजन की शुरुआत के लिए एक मामला था और इसलिए अभियोजन शुरू किया गया था।ऐसा करने में उत्तराधिकारी सरकार की ओर से कुछ भी गलत नहीं होगा और अभियोजन को दूषित नहीं कहा जा सकता है।

उस खाते में।संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने कृष्ण वल्लभ सहाय बनाम जांच आयोग [ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 258:(1969) 1 एस. सी. आर. 387,393:1969 क्रि एलजे 520]:

“इस तर्क का कि उत्तराधिकारी मंत्रालय द्वारा शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इस न्यायालय द्वारा दो मामलों में पहले ही जवाब दिया जा चुका है।दोनों में से पहले वाले को पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित किया जा चुका है।हाल का मामला पी. वी. जगन्नाथ राव बनाम उड़ीसा राज्य [ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 215:(1968) 3 एससीआर 789]।यह कहने के लिए शायद ही किसी प्राधिकरण की आवश्यकता है कि जांच का आदेश मंत्री द्वारा अपने खिलाफ नहीं बल्कि किसी और द्वारा दिया जाएगा।जहाँ कोई मंत्रालय कार्यालय से बाहर जाता है, वहाँ उसका उत्तराधिकारी किसी भी स्पष्ट आरोप पर विचार कर सकता है और यदि उचित ठहराया जाता है, तो जाँच का आदेश दे सकता है।अन्यथा, प्रत्येक मंत्रालय अपने लिए एक कानून बन जाएगा और इसके मंत्रियों का भ्रष्ट आचरण जांच से परे रहेगा।"

ये टिप्पणियां डॉ. जगन्नाथ मिश्रा की ओर से आग्रह किए गए इस तर्क का पूरा जवाब देती हैं कि इस न्यायालय को अभियोजन वापस लेने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि कर्पूरी ठाकुर या श्योनंदन पासवान की उत्तराधिकारी सरकार राजनीतिक प्रेरणा या प्रतिशोध से प्रेरित थी।"

9. सुश्री गरिमा प्रसाद ने इस न्यायालय के संज्ञान में लाया कि जांच पूरी हो चुकी है और अपीलार्थियों और अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए तैयार है, हालांकि, इस न्यायालय द्वारा 28.11.2022 पर पारित अंतरिम आदेश के कारण, जांच कार्यालय संबंधित निचली अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर करने में सक्षम नहीं है।

विश्लेषण

10. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, निम्नलिखित प्रश्न इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए आते हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

1. क्या एफ. आई. आर. का सादा अध्ययन आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत दंडनीय डकैती के अपराध का खुलासा करता है?इसे 333 रखने के लिए

मोहम्मद वाजिद और ए. एन. आर. वी.उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 334 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

दूसरे शब्दों में, भले ही अभियोजन पक्ष का पूरा मामला सच माना जाता है, क्या आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत दंडनीय डकैती का गठन करने वाले तत्वों का खुलासा किया जाता है?

2. क्या आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 (2) के तहत दंडनीय आपराधिक धमकी का कोई मामला बनता है?

3. क्या एफ़. आई. आर. में लगाए गए आरोप इस तथ्य पर विचार करते हुए किसी भी विश्वास को प्रेरित करते हैं कि एफ़. आई. आर. वर्ष 2022 में वर्ष 2021 के कथित अपराध के लिए दर्ज की गई थी और विशेष रूप से, कथित घटना की तारीख और समय के संबंध में कोई विवरण प्रस्तुत किए बिना?

4. क्या मामला आपराधिक मामले को रद्द करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 604 के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों में से किसी एक के भीतर आता है?

चर्चा

दासता का अपराधः**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

11. डकैती का अपराध आई. पी. सी. के अध्याय XVII के अंतर्गत आता है जो संपत्ति के खिलाफ अपराध से संबंधित है।धारा 390 बताती है कि "डकैती" क्या है।यह बताता है कि कब चोरी डकैती है और कब जबरन वसूली डकैती है।धारा 390 चित्रों के साथ इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“धारा **390**।डकैती।**—** सभी डकैती में या तो चोरी होती है या फिर जबरन वसूली।

जब चोरी लूट होती है।— चोरी "डकैती" है यदि चोरी करने के लिए, या चोरी करने में, या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने के लिए, किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मौत या चोट पहुँचाने या गलत तरीके से रोकने, या तत्काल मृत्यु या तत्काल चोट लगने का डर, या तत्काल गलत तरीके से रोकने का कारण बनता है या प्रयास करता है।

जब जबरन वसूली लूट होती है।— जबरन वसूली "डकैती" है यदि जबरन वसूली करने वाला, जबरन वसूली करने के समय, उस व्यक्ति की उपस्थिति में है जो डर में है, और उस व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट, या तत्काल गलत होने के डर में डालकर जबरन वसूली करता है।

उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के लिए संयम, और, इस तरह से डर में डालने से, उस व्यक्ति को जबरन वसूली की गई चीज़ को देने के लिए प्रेरित करता है जिससे वह डर जाता है।

स्पष्टीकरण.—ऑफ एंडर को उपस्थित कहा जाता है यदि वह दूसरे व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट, या तत्काल गलत संयम के डर में डालने के लिए पर्याप्त रूप से पास है।

दृष्टान्त

(ए) ए जेड को नीचे रखता है, और धोखाधड़ी से जेड की सहमति के बिना जेड के कपड़ों से जेड के पैसे और गहने ले लेता है। यहाँ ए ने चोरी की है, और उस चोरी को करने के लिए, स्वेच्छा से जेड को गलत तरीके से नियंत्रित किया है। इसलिए ए ने डकैती की है।

(ख) ए ऊँची सड़क पर जेड से मिलता है, एक पिस्तौल दिखाता है, और जेड के पर्स की मांग करता है।Z, परिणामस्वरूप, अपना पर्स समर्पण कर देता है।यहाँ ए ने जेड से तुरंत चोट लगने के डर से और उसकी उपस्थिति में जबरन वसूली करने के समय पर्स छीन लिया है।इसलिए ए ने डकैती की है।

((c) A, Z और Z के बच्चे से ऊँची सड़क पर मिलता है।ए बच्चे को ले जाता है, और धमकी देता है कि जब तक जेड अपना पर्स नहीं देता, तब तक वह उसे एक ढलान से नीचे फेंक देगा।जेड, परिणामस्वरूप, अपना पर्स वितरित करता है।यहाँ ए ने जेड से पर्स छीन लिया है, जिससे जेड को वहाँ मौजूद बच्चे को तुरंत चोट लगने का डर है।इसलिए ए ने जेड पर डकैती की है।

(घ) ए जेड से यह कहकर संपत्ति प्राप्त करता है कि "आपका बच्चा मेरे गिरोह के हाथों में है, और जब तक आप हमें दस हजार रुपये नहीं भेजते, तब तक उसे मार दिया जाएगा।"यह जबरन वसूली है और इस तरह से दंडनीय हैःलेकिन यह डकैती नहीं है, जब तक कि जेड को उसके बच्चे की तत्काल मौत का डर न हो।"

12. आई. पी. सी. की धारा 391 "डकैती" की अवहेलना करती है।धारा 391 इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“धारा 391।डकैती।— जब कुछ या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से डकैती करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, या जहां पूरी संख्या में व्यक्ति संयुक्त रूप से डकैती करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे कार्य या प्रयास में उपस्थित और सहायता करने वाले व्यक्ति, कुछ या उससे अधिक के बराबर होते हैं, तो ऐसा करने, प्रयास करने या सहायता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को "डकैती" करने वाला कहा जाता है।"

335

मोहम्मद वाजिद और ए. एन. आर. वी.उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 336 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

13. धारा 395 में डकैती के लिए सजा का प्रावधान है।धारा 395 इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“धारा 395।डकैती के लिए सजा।— जो कोई भी डकैती करता है

आजीवन कारावास या दस वर्ष तक की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, और दंडनीय भी होगा।"

14. चोरी करना, या चोरी करना, या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करना, चोरी करने वाला स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मौत या चोट या गलत तरीके से रोकने, या तत्काल मौत या तत्काल चोट लगने का डर, या तुरंत गलत तरीके से रोकने का कारण बनता है या प्रयास करता है, तो चोरी 'डकैती' के बराबर होती है।इससे पहले कि चोरी 'डकैती' हो सकती है, अपहरणकर्ता ने स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मौत या चोट या गलत तरीके से रोकने का प्रयास किया होगा, या तत्काल मौत या तत्काल चोट लगने का डर, या तत्काल गलत तरीके से रोकने का प्रयास किया होगा।दूसरा आवश्यक घटक यह है कि यह

चोरी करने, या चोरी करने, या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने के लिए होना चाहिए।तीसरा आवश्यक घटक यह है कि चोरी करने वाले को स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति को चोट पहुँचाने आदि का कारण बनना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए, उस उद्देश्य के लिए, यानी चोरी करने के लिए या चोरी करने के उद्देश्य से या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने के लिए।यह पर्याप्त नहीं है कि चोरी, चोट आदि के लेन-देन के कारण हुआ था।यदि चोरी के समय चोट आदि लगी है, लेकिन आई. पी. सी. की धारा 390 में निर्दिष्ट वस्तु के अलावा किसी अन्य वस्तु के लिए, चोरी डकैती नहीं होगी।यह भी पर्याप्त नहीं है कि चोरी के समान लेनदेन के दौरान चोट लगी थी।

15. आई. पी. सी. की धारा 390 में उल्लिखित तीन तत्वों को हमेशा संतुष्ट किया जाना चाहिए, इससे पहले कि चोरी डकैती हो सकती है, और इसे विशंभर नाथ बनाम सम्राट, ए. आई. आर. 1941 अवध 476 में निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया हैः--प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“सेक में "उस अंत के लिए" शब्द।390 स्पष्ट रूप से इसका मतलब है कि ऑफ एंडर के कारण होने वाली चोट सुविधा प्रदान करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ होनी चाहिए

चोरी करना, या उस समय किया जाना चाहिए जब चोरी करने वाला चोरी कर रहा हो या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जा रहा हो या ले जाने का प्रयास कर रहा हो।इसका मतलब यह नहीं है कि हमला या चोट उसी लेन-देन में या उसी परिस्थितियों में होनी चाहिए।"

16. करुप्पा गौंडेन बनाम सम्राट, ए. आई. आर. 1918 मद्रास 821 में, जो

ओटारूद्दी मांझी बनाम काफी लुद्दी मांझी, (1900-01) 5 सी. डब्ल्यू. एन. 372, और राजा सम्राट बनाम मथुरा ठाकुर, (1901-02) के दो कलकत्ता मामलों का अनुसरण किया।

6 सी. डब्ल्यू. एन. 72 को पृष्ठ 824 पर इस प्रकार देखा गया हैः- “अब यह हमारा कर्तव्य है कि हम "उस उद्देश्य के लिए" शब्दों को प्रभाव दें।यह विधायिका के लिए खुला होता कि वह अन्य शब्दों का उपयोग करती जो यहां उत्पन्न होने वाली विषम संस्कृति को नहीं बढ़ाती।लोक अभियोजक को यह तर्क देने के लिए मजबूर किया गया है कि "उस उद्देश्य के लिए" को 'उन परिस्थितियों में' के अर्थ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।मेरी राय में हम दंड संहिता की किसी धारा का अर्थ लगाने में ऐसा नहीं कर सकते।निस्संदेह, 'उन परिस्थितियों में' शब्द इस धारा के अनुप्रयोग को व्यापक बना देंगे और हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं है। इस मामले पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के दो फैसलों में विचार किया गया है, जिनमें से एक को ओटारूदी मांझी बनाम काफी लुद्दी मांझी (1900-01) 5 सी. डब्ल्यू. एन. 372 के रूप में रिपोर्ट किया गया है।उनके अधिपतियों ने सवाल को इस तरह रखाः

“हमें ऐसा लगता है कि पूरा सवाल "उस उद्देश्य के लिए" शब्दों पर बदल जाता है।क्या कोई चोट या तत्काल चोट का डर, जो वर्तमान मामले में हुआ था, चोरी की घटना के अंत के कारण हुआ था?हम नहीं सोचते हैं।हमें ऐसा लगता है कि जो भी हिंसा का उपयोग उन व्यक्तियों को बेदखल करने के उद्देश्य से किया गया था जो पहले से ही विचाराधीन परिसर के कब्जे में थे और जिनका चोरी करने से कोई संबंध नहीं था, हालांकि चोरी उसी समय की गई थी।"

(जोर दिया गया) 17.आम तौर पर, यदि चोरी के समय हिंसा या चोट लगी है, तो यह अनुमान लगाना उचित होगा कि हिंसा या चोट चोरी को सुविधाजनक बनाने या चोरी की गई संपत्ति को ले जाने में सुविधा देने या ऐसा करने के प्रयास को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी।लेकिन सबूतों में यह संकेत देने के लिए कुछ हो सकता है कि चोट या हिंसा हुई थी 337

मोहम्मद वाजिद और ए. एन. आर. वी.उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 338 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

इस उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि एक अलग उद्देश्य के लिए।हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष ने आंखों पर पट्टी बांध ली है और "डकैती" के वास्तविक उद्देश्य को समझे बिना आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एफ. आई. आर. दर्ज की है और डकैती के अपराध के लिए आरोप पत्र भी तैयार करने के लिए आगे बढ़ा है।

18. भले ही हम पहले मुखबिर द्वारा रखे गए पूरे मामले पर विश्वास करते हैं या स्वीकार करते हैं, फिर भी डकैती का कारण बनने वाले किसी भी तत्व का खुलासा नहीं किया जाता है।आइए हम एक बार फिर प्रथम सूचना देने वाले के मामले को दोहराते हैं।यह

घटना कथित तौर पर अपीलार्थी संख्या 2 के घर पर हुई है।कहा जाता है कि यह पहला मुखबिर और उसका भाई है जो एक दिन अपीलार्थी संख्या 2 के घर गए थे।उस समय, अन्य सह-अभियुक्त भी मौजूद दिखाई देते हैं।प्रथम मुखबिर की ओर से कोई अच्छा या प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है कि वह रुपये क्यों ले जा रहा था। उसकी जेब में 2 लाख।प्रथम मुखबिर द्वारा प्रस्तुत किया गया पूरा मामला मनगढ़ंत प्रतीत होता है।आइए हम कुछ समय के लिए मान लें कि पहले सूचना देने वाले के पास वास्तव में रु। उसकी जेब में 2 लाख और कथित घटना के समय, आरोपी व्यक्तियों द्वारा राशि को जबरन ले लिया गया था, चाहे वह रु। प्रथम सूचना देने वाले की जेब से 2 लाख रुपये आई. पी. सी. की धारा 390 में आने वाले "उस उद्देश्य के लिए" शब्दों के दायरे में आएंगे। इसका जवाब एक जोरदार "नहीं" है।यहां तक कि पहले मुखबिर के अनुसार, विवाद कृषि भूमि से संबंधित था।प्रथम सूचना देने वाला कहता है कि वह विचाराधीन भूमि का वैध मालिक है, जबकि उसके अनुसार, आरोपी व्यक्ति गलत तरीके से भूमि के वैध मालिक होने का दावा कर रहे हैं।कहा जाता है कि इस विवाद को निपटाने के लिए प्रथम सूचना देने वाले और उसके भाई ने अपनी मर्जी और इच्छा से अपीलार्थी संख्या 2 के घर का दौरा किया था।अपीलार्थी संख्या 2 के घर पहुंचने के बाद ही कथित तौर पर पूरी घटना हुई है।हमें इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि हम आई. पी. सी. जैसे आपराधिक क़ानून के प्रावधानों से निपट रहे हैं। किसी भी आपराधिक क़ानून के प्रावधानों का कड़ाई से अर्थ लगाया और व्याख्या की जानी चाहिए। 19. दंडात्मक कानून की व्याख्या को नियंत्रित करने वाला सामान्य नियम यह है कि इसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए। क्रॉफर्ड के शब्दों में सख्त व्याख्या का अर्थ हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“यदि किसी क़ानून का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना है, तो उसके दायरे में ऐसा कुछ भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से उपयोग की गई भाषा के अर्थ के भीतर न आए।इसकी भाषा को सटीक और तकनीकी अर्थ दिया जाना चाहिए।

प्रभावों या न्यायसंगत विचारों के कारण विस्तार; या उपयुक्त रूप से दावा किया गया है, इसके संचालन को क़ानून के पत्र के साथ-साथ इसकी भावना और तर्क के भीतर स्पष्ट रूप से आने वाले मामलों के लिए आश्वस्त किया जाना चाहिए।या शायद अधिक संक्षिप्त रूप से कहा जाए तो यह शाब्दिक या पाठ्य व्याख्या का निकट और रूढ़िवादी पालन है।"

20. सदरलैंड के अनुसार, सख्त निर्माण के नियम का मतलब यह नहीं है कि क़ानून का कड़ाई से या संकीर्ण रूप से अर्थ लगाया जाएगा, लेकिन इसका मतलब है कि सब कुछ इसके संचालन से बाहर रखा जाएगा जो स्पष्ट रूप से उपयोग की गई भाषा के दायरे में नहीं आता है।

21. जब यह कहा जाता है कि सभी दंडात्मक कानूनों का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना है, तो इसका केवल यह अर्थ है कि न्यायालय को यह देखना चाहिए कि आरोप लगाया गया शब्द उपयोग किए गए शब्दों के स्पष्ट अर्थ के भीतर है और शब्दों पर दबाव नहीं डालना चाहिए।22. ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आई. पी. सी. की धारा 395 वर्तमान मामले पर लागू नहीं होती है।

आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **503,504** और **506**

23. आई. पी. सी. का अध्याय XXII आपराधिक धमकी, अपमान और पीड़ा से संबंधित है।धारा 503 इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“धारा 503।आपराधिक धमकी।— जो किसी और को धमकी देता है

अपने व्यक्ति, प्रतिष्ठा या संपत्ति, या किसी ऐसे व्यक्ति या प्रतिष्ठा को कोई चोट पहुँचाने के इरादे से जिसमें वह व्यक्ति रुचि रखता है, उस व्यक्ति को खतरे में डालने के इरादे से, या उस व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए जो वह कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य नहीं है, या कोई ऐसा कार्य करने के लिए छोड़ देना जो वह व्यक्ति कानूनी रूप से करने का हकदार है, इस तरह की धमकी के निष्पादन से बचने के साधन के रूप में, आपराधिक धमकी देता है।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के अंतर्गत किसी भी मृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने की धमकी दी जाती है, जिसमें धमकी देने वाला व्यक्ति रुचि रखता है।चित्रण

ए, बी को दीवानी मुकदमे का विरोध करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से, बी के घर को जलाने की धमकी देता है।ए आपराधिक धमकी का दोषी है।” धारा 504 इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"धारा **504**।उल्लंघन को भड़काने के इरादे से जानबूझकर अपमान

शांति से।**—** जो भी जानबूझकर अपमान करता है**,** और इस तरह **339** देता है

मोहम्मद वाजिद और ए. एन. आर. वी.उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 340

किसी व्यक्ति को उकसाने के इरादे से या यह जानते हुए कि इस तरह के उकसावे से वह सार्वजनिक शांति भंग कर सकता है, या कोई अन्य अपराध करने की संभावना है, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जो दो साल तक की अवधि के लिए हो सकता है, या फिने, या दोनों के साथ।"

धारा 506 इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"धारा 506।आपराधिक धमकी के लिए सजा।— जो भी हो।

आपराधिक धमकी के अपराध को किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो दो साल तक बढ़ सकता है, या फिर दंड या दोनों के साथ;

यदि मृत्यु या गंभीर चोट आदि का खतरा हो।— और अगर

मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने की धमकी, या फिर से किसी संपत्ति का विनाश करने की धमकी, या मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की धमकी, या सात साल तक की अवधि के लिए कारावास, या किसी महिला पर अनैतिकता का आरोप लगाने की धमकी, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो सात साल तक की अवधि के लिए हो सकता है, या दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा।"

24. धारा 503 के तहत निम्नलिखित अनिवार्यताएं हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -1) किसी भी चोट वाले व्यक्ति को धमकी देना;

((i) उसके व्यक्ति, प्रतिष्ठा या संपत्ति को; या

((ii) उस व्यक्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को, जिसमें वह व्यक्ति रुचि रखता है।

2) धमकी इरादे से दी जानी चाहिए; (i) उस व्यक्ति को खतरे में डालने के लिए; या

((ख) उस व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करना जो वह ऐसी धमकी के निष्पादन से बचने के साधन के रूप में करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है; या

(iii) उस व्यक्ति को ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करना जो वह व्यक्ति ऐसी धमकी के निष्पादन से बचने के साधन के रूप में करने का कानूनी रूप से हकदार है।

25. आई. पी. सी. की धारा 504 में जानबूझकर किसी व्यक्ति का अपमान करने और इस तरह से शांति भंग करने के लिए ऐसे व्यक्ति को उकसाने या जानबूझकर किसी व्यक्ति का अपमान करने पर विचार किया गया है, यह जानते हुए कि अपमानित व्यक्ति को उकसाया जा सकता है ताकि सार्वजनिक शांति भंग हो या कोई अन्य अपराध किया जा सके।केवल दुरुपयोग धारा के दायरे में नहीं आ सकता है।लेकिन, किसी विशेष मामले में दुर्व्यवहार के शब्द जानबूझकर अपमान के समान हो सकते हैं जो सार्वजनिक शांति का उल्लंघन करने या किसी अन्य अपराध को करने के लिए अपमानित व्यक्ति को उकसाते हैं।यदि अपमानजनक भाषा का जानबूझकर उपयोग किया जाता है और यह ऐसी प्रकृति की होती है जो सामान्य घटनाओं में अपमानित व्यक्ति को शांति भंग करने या कानून के तहत अपराध करने के लिए प्रेरित करती है, तो मामला केवल इस वजह से धारा के दायरे से दूर नहीं किया जाता है कि अपमानित व्यक्ति ने वास्तव में शांति नहीं तोड़ी या आत्म-नियंत्रण का प्रयोग करके या अपराधी द्वारा घोर आतंक का शिकार होकर कोई अपराध नहीं किया।यह निर्णय लेने में कि क्या विशेष अपमानजनक भाषा आई. पी. सी. की धारा 504 द्वारा

आकर्षित होती है, अदालत को यह पता लगाना होगा कि सामान्य परिस्थितियों में, इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा का प्रभाव क्या होगा, न कि शिकायतकर्ता ने वास्तव में अपनी विशिष्ट विशिष्टता या शांत स्वभाव या अनुशासन की भावना के परिणामस्वरूप क्या किया।यह अपमानजनक भाषा की सामान्य प्रकृति है जो इस बात पर विचार करने के लिए परीक्षा है कि क्या अपमानजनक भाषा जानबूझकर अपमान है जो अपमानित व्यक्ति को शांति भंग करने के लिए उकसाने की संभावना है न कि शिकायतकर्ता के विशेष आचरण या स्वभाव के लिए।

26. केवल दुर्व्यवहार, अभद्रता, अशिष्टता या अपमान, आई. पी. सी. की धारा 504 के अर्थ के भीतर जानबूझकर अपमान के बराबर नहीं हो सकता है, यदि इसमें अपमानित व्यक्ति को शांति भंग करने के लिए उकसाने की संभावना का आवश्यक तत्व नहीं है और आरोपी का दूसरा तत्व शांति भंग करने के लिए अपमानित व्यक्ति को उकसाने का इरादा रखता है या यह जानते हुए कि अपमानित व्यक्ति के शांति भंग करने की संभावना है।अपमानजनक भाषा के प्रत्येक मामले का निर्णय उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में किया जाना चाहिए और यह सामान्य प्रस्ताव नहीं हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति आई. पी. सी. की धारा 504 के तहत अपराध नहीं करता है यदि वह केवल अपमानजनक भाषा का उपयोग करता है।

शिकायतकर्ता के खिलाफ।राजा सम्राट बनाम चुन्नीभाई दयाभाई में,

(1902) 4 बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ, बॉम एल. आर. 78 ने बताया किः

- 341

मोहम्मद वाजिद और ए. एन. आर. वी.उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 342 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

“ धारा 504, आई. पी. सी. के तहत अपमान का गठन करने के लिए यह पर्याप्त है यदि अपमान एक प्रकार का है जो दूसरे पक्ष को अपना आपा खोने और कुछ हिंसक कहने या करने के लिए प्रेरित करता है।सार्वजनिक शांति को क्रोधित शब्दों के साथ-साथ कर्मों से भी तोड़ा जा सकता है।"

(जोर दिया गया) 27।आई. पी. सी. की धारा 506 के केवल अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इसका एक हिस्सा आपराधिक धमकी से संबंधित है।आपराधिक धमकी का खुलासा होने से पहले, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी का इरादा शिकायतकर्ता को डराने का था।

28. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और विशेष रूप से, एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों की प्रकृति पर विचार करते हुए, आई. पी. सी. की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए एक प्रथम दृष्टया मामले का खुलासा किया जा सकता है, लेकिन आई. पी. सी. की धारा 504 के तहत नहीं। आई. पी. सी. की धारा 504 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में आरोपों को भी एक अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है।एफ. आई. आर. में, सबसे पहले सूचना देने वाले ने केवल इतना कहा है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था।गालियों के रूप में वास्तव में क्या कहा गया था, यह प्राथमिकी में नहीं बताया गया है। आई. पी. सी. की धारा 504 के तहत अनिवार्य तत्वों में से एक, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, यह है कि जानबूझकर अपमान के बराबर कोई कार्य या आचरण होना चाहिए था।जहाँ वह कार्य अपमानजनक शब्दों का उपयोग है, यह जानना आवश्यक है कि वे शब्द क्या थे ताकि यह तय किया जा सके कि उन शब्दों का उपयोग जानबूझकर अपमान के बराबर है या नहीं।इन शब्दों के अभाव में, यह तय करना संभव नहीं है कि जानबूझकर अपमान का घटक मौजूद है या नहीं।

29. हालाँकि, जैसा कि पहले देखा गया है, प्रथम मुखबिर द्वारा सामने रखा गया पूरा मामला मनगढ़ंत और मनगढ़ंत प्रतीत होता है।इस स्तर पर, हम भजन लाल (उपरोक्त) के मामले में एक प्राथमिकी को रद्द करने के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों का उल्लेख कर सकते हैं।मापदंड इस प्रकार हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया किसी भी अपराध का गठन नहीं करते हैं या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और अन्य सामग्री, यदि कोई हो, प्राथमिकी के साथ एक संज्ञेय का खुलासा नहीं करते हैं

संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश को छोड़कर, संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराना।

(3) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।(4) जहां, एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है जैसा कि संहिता की धारा 155 (2) के तहत विचार किया गया है।

(5) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिसके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही को जारी रखने के लिए एक स्पष्ट कानूनी रोक है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट सी प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से पेश किया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।"

हमारी राय में, वर्तमान मामला ऊपर निर्दिष्ट मानकों संख्या 1,5 और 7 उत्तर के अंतर्गत आता है।

30. इस स्तर पर, हम कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन करना चाहेंगे।जब भी कोई अभियुक्त आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सी. आर. पी. सी.) की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए अदालत के समक्ष आता है, तो प्राथमिकी या आपराधिक कार्यवाही को अनिवार्य रूप से इस आधार पर रद्द कर दिया जाता है कि ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली होती है या प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से शुरू की जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में 343

एफ. आई. आर. को सावधानीपूर्वक और थोड़ी अधिक बारीकी से देखने का कर्तव्य न्यायालय का है।हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार जब शिकायतकर्ता व्यक्तिगत प्रतिशोध आदि के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने का फैसला करता है, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि सभी आवश्यक अभिवचनों के साथ प्राथमिकी/शिकायत का बहुत अच्छी तरह से मसौदा तैयार किया जाए।शिकायतकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि एफ. आई. आर./शिकायत में किए गए कथन ऐसे हों कि वे कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री का खुलासा करें।इसलिए, न्यायालय के लिए केवल यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि क्या कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री का खुलासा किया गया है या नहीं, केवल एफ. आई. आर./शिकायत में किए गए कथनों पर गौर करना पर्याप्त नहीं होगा।तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाहियों में, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभिकथनों के अलावा मामले के रिकॉर्ड से उभरने वाली कई अन्य उपस्थित परिस्थितियों पर गौर करे और यदि आवश्यक हो, तो उचित सावधानी और सावधानी के साथ पंक्तियों के बीच पढ़ने का प्रयास करे।सी. आर. पी. सी. की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायालय को केवल मामले के चरण तक ही सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे मामले की शुरुआत/पंजीकरण के साथ-साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखने का अधिकार है।उदाहरण के लिए हाथ में मामला लें।इस अवधि में कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।यह ऐसी परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में है कि कई प्राथमिकियों का पंजीकरण महत्वपूर्ण है, जिससे निजी या व्यक्तिगत द्वेष से बदला लेने का मुद्दा आकर्षित होता है जैसा कि आरोप लगाया गया है।

31. आंध्र प्रदेश राज्य बनाम गोलकोंडा लिंग स्वामी, (2004)

6 एस. सी. सी. 522, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने विस्तार से बताया कि उच्च न्यायालय एक एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए किस प्रकार की सामग्री का आकलन कर सकता है। न्यायालय ने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई सामग्री पर विचार करने और ऐसे साक्ष्य की सराहना करने के बीच एक निश्चित अंतर किया।एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए केवल ऐसी सामग्री पर विचार किया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से एफ. आई. आर. में आरोप को साबित करने में विफल रहती है। न्यायालय ने कहाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"5. ...न्याय की प्रगति के लिए न्यायालय का अधिकार मौजूद है और यदि उस अधिकार का दुरुपयोग करने का कोई प्रयास किया जाता है ताकि अन्याय पैदा किया जा सके, तो न्यायालय के पास इस तरह के दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है।यह किसी भी कार्रवाई की अनुमति देने के लिए अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिसके परिणामस्वरूप अन्याय होगा और न्याय को बढ़ावा देने में बाधा आएगी।अभ्यास में

शक्ति अदालत को किसी भी कार्यवाही को रद्द करने के लिए न्यायसंगत ठहराया जाएगा यदि वह यह मानता है कि इसकी शुरुआत या निरंतरता अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग या इन कार्यवाही को रद्द करने के बराबर है अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा।जब शिकायत द्वारा कोई खुलासा नहीं किया जाता है, तो अदालत

तथ्य के प्रश्न की जाँच कर सकते हैं।जब किसी शिकायत को रद्द करने की मांग की जाती है**,** तो यह आकलन करने के लिए सामग्री को देखने की अनुमति है कि शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया है और क्या कोई अपराध बनाया गया है**,** भले ही आरोप पूरी तरह से स्वीकार किए गए हों।

6. आर. पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 866:1960 सी. आर. आई. एल. जे. 1239, इस न्यायालय ने कुछ श्रेणियों के मामलों का सारांश दिया जहां कार्यवाही को रद्द करने के लिए अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है और किया जाना चाहिएः(एयर पी। 869, पैरा 6) (i) जहां यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि संस्था या निरंतरता के खिलाफ एक कानूनी बाधा है जैसे कि मंजूरी की कमी;

((ख) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप या शिकायत को उसके अंकित मूल्य पर लिया गया है और पूरी तरह से स्वीकार किया गया है, वह आरोप का गठन नहीं करता है;

((ग**)** जहां आरोप एक अपराध है**,** लेकिन कोई कानूनी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है या स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से प्रस्तुत साक्ष्य आरोप को साबित करने में विफल रहता है।

7. अंतिम श्रेणी से निपटने में**,** ऐसे मामले के बीच के अंतर को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है जहां कोई कानूनी सबूत नहीं है या जहां सबूत है जो स्पष्ट रूप से लगाए गए आरोपों के साथ असंगत है**,** और एक ऐसा मामला जहां कानूनी सबूत है**,** जो प्रशंसा पर**,** आरोपों का समर्थन कर सकता है या नहीं भी कर सकता है।संहिता की धारा **482** के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते समय**,** उच्च न्यायालय सामान्य रूप से इस बात की जांच शुरू नहीं करेगा कि क्या विचाराधीन साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं या क्या इसके उचित मूल्यांकन पर आरोप कायम नहीं रहेगा।यह है कार्य

ट्रायल जज।इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायिक प्रक्रिया उत्पीड़न या अनावश्यक उत्पीड़न का साधन नहीं होनी चाहिए। न्यायालय को विवेकाधिकार का प्रयोग करने में चौकस और विवेकपूर्ण होना चाहिए और प्रक्रिया जारी करने से पहले सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा न हो कि यह एक निजी शिकायतकर्ता के हाथों में एक साधन हो 345

मोहम्मद वाजिद और ए. एन. आर. वी.उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 346

किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए प्रतिशोध लेना।साथ ही यह धारा किसी अभियुक्त को अभियोजन को शॉर्ट-सर्किट करने और उसकी अचानक मृत्यु लाने के लिए सौंपा गया साधन नहीं है।

(बल दिया गया)

एफ**.** आई**.** आर**.** दर्ज करने में देरी

32. कहा जाता है कि यह कथित घटना वर्ष 2021 में किसी समय हुई थी।एफ़. आई. आर. में घटना की किसी तारीख या समय का कोई उल्लेख नहीं है। आरोप बहुत अस्पष्ट और सामान्य हैं।अगर यह त्वरित रूप से प्राथमिकी दर्ज करने का मामला होता, तो शायद पुलिस रुपये बरामद करने में सक्षम होती। अभियुक्त व्यक्तियों के कब्जे से 2 लाख रुपये कथित रूप से पहले मुखबिर की जेब से जबरन छीन लिए गए।एफ़. आई. आर. एक दस्तावेज़ के बारे में भी बताती है जिस पर पहले मुखबिर और उसके भाई को अपने हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था।हम आश्चर्य करते हैं कि क्या जाँच एजेंसी जाँच के दौरान अभियुक्त व्यक्तियों से उनके हस्ताक्षर वाले ऐसे किसी भी दस्तावेज़ को इकट्ठा करने या बरामद करने की स्थिति में थी, विशेष रूप से जब राज्य कहता है कि जाँच समाप्त हो गई है और आरोप पत्र भी तैयार है।इन सभी सामग्री के अभाव में, राज्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अपने मामले को कैसे साबित करने जा रहा है।आपराधिक मामले में एफ. आई. आर. मुकदमे में पेश मौखिक साक्ष्य की पुष्टि करने के उद्देश्य से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान साक्ष्य है।अपराध करने के संबंध में पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य उन परिस्थितियों के बारे में जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त करना है जिनमें अपराध किया गया था, वास्तविक दोषियों के नाम और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के साथ-साथ घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीद गवाहों के नाम।

33. उपरोक्त संदर्भ में, हम स्पष्ट कर सकते हैं कि एफ. आई. आर. दर्ज करने में देरी, अपने आप में, एफ. आई. आर. को रद्द करने का आधार नहीं हो सकती है। यद्यपि, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पूरे मामले को स्वाभाविक रूप से असंभव बताते हुए मामले के अभिलेख से उत्पन्न होने वाली अन्य उपस्थित परिस्थितियों के साथ देरी, कभी-कभी प्राथमिकी और परिणामी कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक अच्छा आधार बन सकती है।यदि कथित घटना की तारीख और समय का खुलासा किए बिना एक वर्ष से अधिक की अवधि के बाद और इस तरह की देरी के लिए किसी भी प्रशंसनीय और विश्वसनीय स्पष्टीकरण के बिना प्राथमिकी दर्ज की जाती है, तो आरोपी से मुकदमे में अपना बचाव करने की उम्मीद कैसे की जाती है।यह कहना पूरी तरह से अलग है कि किसी मामले में,

जाँच एजेंसी जाँच के क्रम में घटना की तारीख और समय आदि का पता लगाने में सक्षम हो सकती है। कुछ आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी भी कभी-कभी एफ़. आई. आर. में लगाए गए आरोपों को विश्वास दिला सकती है। हालांकि, केवल प्राथमिकी में लगाए गए अस्पष्ट और सामान्य आरोपों के आधार पर ऐसी सभी सामग्रियों के अभाव में, आरोपी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

34. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि हमारे समक्ष अपीलार्थियों के सकल आपराधिक इतिहास पर विचार करते हुए, आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है।राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अपनी लिखित दलीलों में अपीलार्थियों के पूर्ववृत्त के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया है। चार्ट पर एक नंगी नज़र डालने से यह आभास हो सकता है कि अपीलार्थी इतिहास रचने वाले और कठोर अपराधी हैं।हालाँकि, जब एफ़. आई. आर. या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की बात आती है, तो आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करने के लिए अभियुक्त का आपराधिक इतिहास एकमात्र विचार नहीं हो सकता है।अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष यह कहने का वैध अधिकार है कि उसका पूर्ववृत्त कितना भी बुरा क्यों न हो, फिर भी यदि प्राथमिकी किसी अपराध का खुलासा करने में विफल रहती है या उसका मामला भजन लाल (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों में से एक के भीतर आता है, तो न्यायालय को आपराधिक मामले को केवल इस आधार पर रद्द करने से इनकार नहीं करना चाहिए कि अभियुक्त एक हिस्ट्रीशीटर है।अभियोजन शुरू करने से अभियुक्त के रूप में नामित व्यक्तियों के लिए प्रतिकूल और कठोर परिणाम होते हैं।
राजस्व निदेशालय में

और एक अन्य बनाम मोहम्मद निसार होलिया, (2008) 2 एस. सी. सी. 370, यह न्यायालय

संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्निहित अधिदेशों में से एक के रूप में पर्याप्त आधारों के बिना परेशान नहीं होने के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता देता है।इस प्रकार, कानून प्रवर्तन शक्ति और नागरिकों की अन्याय और उत्पीड़न से सुरक्षा को संतुलित करने की आवश्यकता और आवश्यकता को बनाए रखा जाना चाहिए।यह बिना कहे चला जाता है कि यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि कोई भी अपराध बख्शा न जाए, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना उसका कर्तव्य है कि उसके किसी भी विषय को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।

35. मामले के समग्र दृष्टिकोण से, हम आश्वस्त हैं कि मिर्जापुर पुलिस स्टेशन, सहारनपुर में दर्ज 2022 की प्राथमिकी संख्या 224 से उत्पन्न आपराधिक मामले को जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं होगा।इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, हम इसमें अपीलार्थियों की ओर से रखे गए मामले को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं।

347

मोहम्मद वाजिद और ए. एन. आर. वी.उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

36. परिणामस्वरूप, यह अपील सफल हो जाती है और इसके द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है।इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर के पुलिस स्टेशन मिर्जापुर में दर्ज 2022 की एफ. आई. आर. संख्या 224 से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

37. यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियां केवल विचाराधीन प्राथमिकी और परिणामी आपराधिक कार्यवाही के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं।इन टिप्पणियों में से किसी का भी किसी भी लंबित आपराधिक अभियोजन या किसी अन्य कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन